



# बिहार सरकार

## वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के बजट प्राक्कलन से संबंधित  
प्राप्ति एवं व्यय का रूझान का

प्रथम तिमाही  
का परिणाम

(बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के आलोक में)

अब्दुल बारी सिद्दिकी  
वित्त मंत्री

अगस्त, 2016

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आप अवगत हैं कि वित्तीय संव्यवहार में पारदर्शिता एवं अनुशासन लाने के दृष्टिकोण से 18 फरवरी, 2006 के प्रभाव से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू है। उक्त अधिनियम की धारा-11 में यह प्रावधान है कि बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रत्येक तिमाही के बाद आय एवं व्यय के रूझानों का पुनरावलोकन किया जायेगा और इसके परिणामों को विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही के आय एवं व्यय के रूझानों का परिणाम प्रस्तुत कर रहा हूँ।

प्रथम तिमाही के आय एवं व्यय के रूझान का परिणाम CTMIS (विस्तृत कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली) से प्राप्त विवरणी एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से प्राप्त राज्यपाल सचिवालय एवं बिहार विधान मंडल की व्यय विवरणी के आधार पर संकलन किया गया है।

उपरोक्त आकलन के अनुसार बजट अनुमानों के संदर्भ में प्रथम तिमाही में आय एवं व्यय की तुलनात्मक संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है:-

## आय-व्ययक का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

| 2016-17  |   |            |                                       |   |
|----------|---|------------|---------------------------------------|---|
| क्र. सं. | मर्दें  | बजट अनुमान | प्रथम तिमाही तक कुल प्राप्ति एवं व्यय | प्रथम तिमाही तक बजट अनुमान की तुलना में प्राप्ति एवं व्यय का प्रतिशत<br>(कॉलम 3 का) |
| 1        | 2   | 3          | 4                                     | 5   |
| 1        | कुल गैर-ऋण आय                                 | 124607.62  | 20578.00                              | 16.51   |
| 2        | कुल गैर-ऋण व्यय                               | 140621.89  | 18631.34                              | 13.25   |
| 3        | राजकोषीय घाटा (2-1)                           | 16014.27   | -1946.66                              | -12.16  |
| 4        | ऋण भुगतान                                     | 4074.39    | 487.96                                | 11.98   |
| 5        | ऋण उगाही                                      | 21254.92   | 760.08                                | 3.58  |
| 6        | गैर ऋण आय के मुख्य अवयव:-                     | 124607.62  | 20578.00                              | 16.51   |
|          | (क) राज्य सरकार की आय                         | 32088.38   | 4077.31                               | 12.71   |
|          | (1) कर राजस्व                                 | 29730.27   | 3752.34                               | 12.62   |
|          | (2) गैर कर राजस्व                             | 2358.11    | 324.97                                | 13.78   |
|          | (ख) केन्द्र सरकार से प्राप्तियाँ              | 92501.86   | 16495.95                              | 17.83   |
|          | (1) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा        | 58359.72   | 11835.39                              | 20.28   |
|          | (2) केन्द्र सरकार से सहाय्य अनुदान            | 34142.14   | 4660.56                               | 13.65   |
|          | (ग) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली | 17.38      | 4.74                                  | 27.27   |
| 7        | गैर ऋण व्यय के मुख्य अवयव:-                   | 140621.89  | 18631.34                              | 13.25   |
|          | (क) गैर योजना व्यय                            | 68202.57   | 12189.84                              | 17.87   |
|          | (1) पेंशन                                     | 16285.30   | 2992.12                               | 18.37   |
|          | (2) सूद                                       | 8178.82    | 1441.39                               | 17.62   |
|          | (3) अन्य                                      | 43738.45   | 7756.33                               | 17.73   |
|          | (ख) योजना व्यय                                | 72419.32   | 6441.50                               | 8.89  |
|          | (1) राज्य योजना                               | 71501.84   | 6424.86                               | 8.99  |
|          | (2) केन्द्रीय योजनागत योजना                   | 917.48     | 18.24                                 | 1.99  |
|          | (3) केन्द्र प्रायोजित योजना                   | 0.00       | -1.60                                 | 0.00  |

नोट :- 1. विभागवार योजना एवं गैर योजना की व्यय विवरणी अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' पर और केन्द्रीय योजनागत योजना की व्यय विवरणी अनुलग्नक 'घ' पर है।

2. राज्य सरकार के कर एवं गैर कर राजस्व, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली, ऋण उगाही एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि की विवरणी अनुलग्नक 'ग' पर है।

### राज्य योजना मद में व्यय

उपरोक्त आकलन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही तक योजना मद में 6424.86 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जबकि पिछले वर्ष प्रथम तिमाही तक 4170.52 करोड़ रुपये हुआ था। यह व्यय बजट उपबंध की तुलना में 8.99 प्रतिशत है।

### गैर योजना मद में व्यय

वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही तक गैर योजना मद में लोक ऋण भुगतान को छोड़कर कुल व्यय 12189.84 करोड़ रुपये है, जो बजट उपबंध का 17.87 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही 11499.18 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था।

### पेंशन/सूद मद में व्यय-

पेंशन मद में 2992.12 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है जो बजट उपबंध का 18.37 प्रतिशत है। सूद मद में 1441.39 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जो बजट उपबंध का 17.62 प्रतिशत है। अन्य मदों में व्यय 7756.33 करोड़ रुपये का हुआ है, जो मूल बजट में प्रावधानित राशि का 17.73 प्रतिशत है।

### राज्य की अपनी स्रोतों से आय

वर्ष 2016-17 में प्रथम तिमाही तक राज्य की अपने कर राजस्व की आय 3752.34 करोड़ रुपये एवं गैर कर राजस्व से आय 324.97 करोड़ रुपये है, जो बजट अनुमानों का क्रमशः 12.62 प्रतिशत एवं 13.78 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में कर-राजस्व से आय 5733.81 करोड़ रुपये एवं गैर कर राजस्व से आय 357.36 करोड़ रुपये थी। मुख्य विभागवार आय की तुलनात्मक विवरणी अनुलग्नक ग पर है।

### वाणिज्य-कर विभाग से आय

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रथम तिमाही तक 2372.36 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 3666.66 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 35.30 प्रतिशत की कमी हुई है। इस वर्ष आय कुल बजट अनुमान 22000.00 करोड़ रुपये का 10.78 प्रतिशत है।

### निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(क) निबंधन विभाग द्वारा प्रथम तिमाही तक 874.76 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 862.07 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 1.47 प्रतिशत की वृद्धि है। यह आय कुल बजट अनुमान 3800.00 करोड़ रुपये का 23.02 प्रतिशत है।

### (ख) उत्पाद शुल्क से आय

उत्पाद शुल्क द्वारा प्रथम तिमाही तक 42.27 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 897.01 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 95.29 प्रतिशत की कमी है। यह आय कुल बजट अनुमानों 2100.00 करोड़ रुपये का 2.01 प्रतिशत है।

### परिवहन विभाग से आय

परिवहन विभाग द्वारा प्रथम तिमाही तक 276.15 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 250.81 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 10.10 प्रतिशत की वृद्धि है। यह आय कुल बजट अनुमानों 1500.00 करोड़ रुपये का 18.41 प्रतिशत है।

### केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र से अनुदान

राज्य को केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में आय प्राप्त होती है। इस मद में प्रथम तिमाही तक 11835.39 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। यह बजट अनुमान 58359.72 करोड़ रुपये का 20.28 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में 10874.11 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार इस वर्ष 8.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त होता है। इस मद में प्रथम तिमाही तक 4660.56 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो मूल बजट अनुमान 34142.14 करोड़ रुपये का 13.65 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में 5477.96 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी।

### ऋण की उगाही एवं ऋण/सूद का भुगतान

प्रथम तिमाही तक राज्य सरकार द्वारा 760.08 करोड़ रुपये के ऋण की उगाही की गयी है, जिसमें केन्द्र सरकार से 689.13 करोड़ रुपये की राशि बाह्य संपोषित परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक ऋण के रूप में प्राप्त हुई है। बजट अनुमानों के अनुसार 21254.92 करोड़ रुपये की उगाही की जानी है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 597.91 करोड़ रुपये के ऋण की उगाही की गयी थी।

राज्य सरकार द्वारा प्रथम तिमाही तक 487.96 करोड़ रुपये के ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है। यह बजट अनुमान 4074.39 करोड़ रुपये का 11.98 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 1152.94 करोड़ रुपये का ऋण पुनर्भुगतान किया गया था। प्रथम तिमाही तक 1441.39 करोड़ रुपये का सूद मद में भुगतान किया गया है। यह बजट अनुमान 8178.82 करोड़ रुपये का 17.62 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 1397.52 करोड़ रुपये का सूद मद में भुगतान किया गया था।

#### उपसंहार :

प्रथम तिमाही तक गैर ऋण आय के रूप में 20578.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और गैर ऋण व्यय 18631.34 करोड़ रुपये का हुआ। प्रथम तिमाही तक 1946.66 करोड़ रुपये राजकोषीय बचत हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 16014.27 करोड़ रुपये संभावित है।

अंत में, मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार कर प्रशासन तथा व्यय प्रबंधन के सुदृढीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है।

----- :: -----

## राज्य योजना व्यय की विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

| मांग | विभाग का नाम                                | 2016-17    |            |                      |  | 2015-16 में प्रथम तिमाही तक कुल व्यय | प्रथम तिमाही तक पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय परिवर्तन (%) |
|------|---|------------|------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|
|      |   | बजट उपबंध  | उद्ध्यय    | प्रथम तिमाही का व्यय | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) |                                      |   |
| 1    | 2   | 3          | 4          | 5                    | 6  | 7                                    | 8   |
| 01   | कृषि विभाग                                  | 217981.00  | 234234.94  | 26.00                | 0.01                                     | 26.00                                | 0.00  |
| 02   | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग                 | 29021.81   | 30406.81   | 59.00                | 0.20                                     | 23.00                                | 156.52  |
| 03   | भवन निर्माण विभाग                           | 253024.43  | 24843.52   | 7564.00              | 2.99                                     | 22686.00                             | -66.66  |
| 04   | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                    | 22476.14   | 22771.14   | 25.00                | 0.11                                     | 11.00                                | 127.27  |
| 08   | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग                | 5180.00    | 34096.35   | 16.00                | 0.31                                     | 100.00                               | -84.00  |
| 09   | सहकारिता विभाग                              | 49670.19   | 49670.19   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| 10   | उर्जा विभाग                                 | 965860.00  | 965860.00  | 192691.00            | 19.95                                    | 2505.00                              | 7592.26   |
| 11   | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 196202.66  | 197002.66  | 0.00                 | 0.00                                     | -40.00                               | -100.00   |
| 12   | वित्त विभाग                                 | 4250.00    | 7000.00    | 5.00                 | 0.12                                     | 68.00                                | -92.65  |
| 16   | पंचायती राज विभाग                           | 123692.00  | 163992.00  | 1135.00              | 0.92                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| 17   | वाणिज्य-कर विभाग                            | 0.00       | 603.77     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| 18   | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग            | 204697.36  | 212163.36  | 0.00                 | 0.00                                     | 20000.00                             | -100  |
| 19   | पर्यावरण एवं वन विभाग                       | 11649.80   | 11649.80   | 494.00               | 4.24                                     | 2870.00                              | -82.79  |
| 20   | स्वास्थ्य विभाग                             | 533718.01  | 534892.00  | 6847.00              | 1.28                                     | 10388.00                             | -34.09  |
| 21   | शिक्षा विभाग                                | 1095014.02 | 1095014.02 | 98938.00             | 9.04                                     | 240.00                               | 41124.17  |
| 22   | गृह विभाग                                   | 41150.58   | 51650.58   | 2821.00              | 6.86                                     | 838.00                               | 236.63  |
| 23   | उद्योग विभाग                                | 71587.80   | 71587.80   | 36.00                | 0.05                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| 24   | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग                    | 9012.29    | 9012.29    | 140.00               | 1.55                                     | 118.00                               | 18.64   |
| 25   | सूचना प्रवैधिकी विभाग                       | 26957.89   | 28657.89   | 13792.00             | 51.16                                    | 170.00                               | 8012.94   |
| 26   | श्रम संसाधन विभाग                           | 63698.38   | 78094.38   | 474.00               | 0.74                                     | 222.00                               | 113.51  |
| 27   | विधि विभाग                                  | 300.00     | 16667.00   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| 30   | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग                     | 27380.12   | 34780.12   | 1294.00              | 4.73                                     | 9350.00                              | -86.16  |
| 33   | सामान्य प्रशासन विभाग                       | 3552.51    | 6852.52    | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00  |

| मांग                   | विभाग का नाम                                   | 2016-17           |                   |                      |  | 2015-16 में प्रथम तिमाही तक कुल व्यय | प्रथम तिमाही तक पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय परिवर्तन (%) |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|
|                        |  | बजट उपबंध         | उद्ध्यय           | प्रथम तिमाही का व्यय | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) |                                      |   |
| 1                      | 2  | 3                 | 4                 | 5                    | 6  | 7                                    | 8   |
| 35                     | योजना एवं विकास विभाग                          | 330463.55         | 294709.61         | 5401.00              | 1.63                                     | 71.00                                | 7507.04   |
| 36                     | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग                  | 133567.00         | 133567.00         | 16276.00             | 12.19                                    | 1384.00                              | 1076.01   |
| 37                     | ग्रामीण कार्य विभाग                            | 595431.00         | 595431.00         | 113962.00            | 19.14                                    | 165571.00                            | -31.17  |
| 38                     | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग            | 100.00            | 461.79            | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| 39                     | आपदा प्रबंधन विभाग                             | 5039.00           | 5039.00           | 501.00               | 9.94                                     | 328.00                               | 52.74   |
| 40                     | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग                    | 12634.84          | 13833.84          | 620.00               | 4.91                                     | 872.00                               | -28.90  |
| 41                     | पथ निर्माण विभाग                               | 565141.00         | 565141.00         | 162182.00            | 28.70                                    | 104250.00                            | 55.57   |
| 42                     | ग्रामीण विकास विभाग                            | 520413.18         | 542013.18         | 116.00               | 0.02                                     | 24157.00                             | -99.52  |
| 43                     | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग                   | 15144.62          | 73866.81          | 207.00               | 1.37                                     | 22.00                                | 840.91  |
| 44                     | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 131055.00         | 157598.84         | 3.00                 | 0.00                                     | -76.00                               | -103.95   |
| 45                     | गन्ना उद्योग विभाग                             | 10184.27          | 10184.27          | 5.00                 | 0.05                                     | 4154.00                              | -99.88  |
| 46                     | पर्यटन विभाग                                   | 4101.21           | 4101.21           | 646.00               | 15.75                                    | 198.00                               | 226.26  |
| 47                     | परिवहन विभाग                                   | 686.20            | 1487.17           | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| 48                     | नगर विकास एवं आवास विभाग                       | 200108.73         | 200108.73         | 610.00               | 0.30                                     | 88.00                                | 593.18  |
| 49                     | जल संसाधन विभाग                                | 141543.13         | 141543.13         | 38975.00             | 27.54                                    | 28252.00                             | 37.95   |
| 50                     | लघु जल संसाधन विभाग                            | 32401.28          | 32401.28          | 949.00               | 2.93                                     | 1250.00                              | -24.08  |
| 51                     | समाज कल्याण विभाग                              | 496093.00         | 497193.00         | 971.00               | 0.20                                     | 27630.00                             | -96.49  |
| अन्य (घटायें वापसियां) |  | 0.00              | 0.00              | -25295.00            | 0.00                                     | -10674.00                            | 136.98  |
| <b>योग-</b>            |  | <b>7150184.00</b> | <b>7150184.00</b> | <b>642486.00</b>     | <b>8.99</b>                              | <b>417052.00</b>                     | <b>54.05</b>  |

**नोट:-** मांगों/विनियोग में बजट उपबंध मांग/विनियोग के अन्तर्गत वसूलियों को घटाने के उपरान्त जो राशि आती है उसे दिखलाया गया है। वर्ष 2014-15 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत व्यय की जानी वाली राशि राज्य योजना से की जा रही है।

**स्रोत** सी0टी0एम0आई0एस0 जून, 2016 के अनुसार अंकित किया गया है।



## गैर योजना व्यय की विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

| मांग/<br>विनियोग<br>सं० | विभाग का नाम                                   | 2016-17    |                             |   | 2015-16 में<br>प्रथम तिमाही<br>तक कुल<br>व्यय | पिछले वर्ष<br>की तुलना<br>में परिवर्तन<br>(%) |
|-------------------------|--|------------|-----------------------------|---|---|---|
|                         |  | बजट उपबंध  | प्रथम तिमाही<br>का कुल व्यय | प्रथम तिमाही<br>तक प्रतिशत<br>व्यय (कॉलम 3<br>का) |   |   |
| 1                       | 2  | 3          | 4                           | 5   | 6   | 7   |
| 01                      | कृषि विभाग                                     | 53831.74   | 4009.00                     | 7.45  | 4068.00                                       | -1.45   |
| 02                      | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग                    | 24897.41   | 4704.00                     | 18.89   | 3655.00                                       | 28.70   |
| 03                      | भवन निर्माण विभाग                              | 64991.73   | 4532.00                     | 6.97  | 5199.00                                       | -12.83  |
| 04                      | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                       | 14856.39   | 2915.00                     | 19.62   | 2352.00                                       | 23.94   |
| 05                      | राज्यपाल सचिवालय                               | 1348.92    | 197.22                      | 14.62   | 192.14  | 2.64  |
| 06                      | निर्वाचन विभाग                                 | 9792.44    | 1870.00                     | 19.10   | 1001.00                                       | 86.81   |
| 07                      | निगरानी विभाग                                  | 3410.08    | 842.00                      | 24.69   | 847.00  | -0.59   |
| 08                      | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग                   | 7414.48    | 844.00                      | 11.38   | 812.00  | 3.94  |
| 09                      | सहकारिता विभाग                                 | 10391.99   | 2359.00                     | 22.70   | 2142.00                                       | 10.13   |
| 10                      | उर्जा विभाग                                    | 470924.49  | 273477.00                   | 58.07   | 197670.00                                     | 38.35   |
| 11                      | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग<br>कल्याण विभाग | 1351.22    | 61.00                       | 4.51  | 78.00   | -21.79  |
| 12                      | वित्त विभाग                                    | 80167.51   | 3540.00                     | 4.42  | 3136.00                                       | 12.88   |
| 13                      | सूद भुगतान                                     | 817882.26  | 144139.00                   | 17.62   | 139752.00                                     | 3.14  |
| 15                      | पेंशन  | 1628530.01 | 299212.00                   | 18.37   | 274295.08                                     | 9.08  |
| 16                      | पंचायती राज विभाग                              | 594699.90  | 6488.00                     | 1.09  | 2552.00                                       | 154.23  |
| 17                      | वाणिज्य-कर विभाग                               | 10258.64   | 2014.00                     | 19.63   | 1811.00                                       | 11.21   |
| 18                      | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण<br>विभाग            | 9907.33    | 1354.00                     | 13.67   | 1326.00                                       | 2.11  |
| 19                      | पर्यावरण एवं वन विभाग                          | 12577.02   | 2144.00                     | 17.05   | 2040.00                                       | 5.10  |
| 20                      | स्वास्थ्य विभाग                                | 289751.65  | 54779.00                    | 18.91   | 38388.00                                      | 42.70   |
| 21                      | शिक्षा विभाग                                   | 1094688.22 | 155843.00                   | 14.24   | 141822.00                                     | 9.89  |
| 22                      | गृह विभाग                                      | 688445.88  | 146184.00                   | 21.23   | 124747.00                                     | 17.18   |
| 23                      | उद्योग विभाग                                   | 7289.86    | 1392.00                     | 19.10   | 1279.00                                       | 8.84  |
| 24                      | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग                       | 11437.31   | 1961.00                     | 17.15   | 448.00  | 337.72  |
| 25                      | सूचना प्रावैधिकी विभाग                         | 297.82     | 49.00                       | 16.45   | 51.00   | -3.92   |
| 26                      | श्रम संसाधन विभाग                              | 14496.99   | 2948.00                     | 20.34   | 2514.00                                       | 17.26   |
| 27                      | विधि विभाग                                     | 81655.40   | 14814.00                    | 18.14   | 11917.00                                      | 24.31   |
| 28                      | उच्च न्यायालय                                  | 11156.35   | 2853.00                     | 25.57   | 2709.00                                       | 5.32  |
| 29                      | खान एवं भूतत्व विभाग                           | 1894.52    | 323.00                      | 17.05   | 329.00  | -1.82   |

| मांग/<br>विनियोग<br>सं० | विभाग का नाम  | 2016-17           |                             |   | 2015-16 में<br>प्रथम तिमाही<br>तक कुल<br>व्यय | पिछले वर्ष<br>की तुलना<br>में परिवर्तन<br>(%) |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------|---|---|---|
|                         |   | बजट उपबंध         | प्रथम तिमाही<br>का कुल व्यय | प्रथम तिमाही<br>तक प्रतिशत<br>व्यय (कॉलम 3<br>का) |   |   |
| 1                       | 2   | 3                 | 4                           | 5   | 6   | 7   |
| 30                      | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग   | 2019.55           | 341.00                      | 16.88   | 285.00  | 19.65   |
| 31                      | संसदीय कार्य विभाग  | 173.37            | 45.00                       | 25.96   | 53.00   | -15.09  |
| 32                      | विधान मंडल  | 15344.88          | 3346.40                     | 21.81   | 2956.41                                       | 13.19   |
| 33                      | सामान्य प्रशासन विभाग   | 49687.84          | 5935.00                     | 11.94   | 5640.00                                       | 5.23  |
| 34                      | बिहार लोक सेवा आयोग   | 2121.85           | 534.00                      | 25.17   | 612.00  | -12.75  |
| 35                      | योजना एवं विकास विभाग   | 19925.79          | 2664.00                     | 13.37   | 2245.00                                       | 18.66   |
| 36                      | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग   | 41931.54          | 6313.00                     | 15.06   | 6316.00                                       | -0.05   |
| 37                      | ग्रामीण कार्य विभाग   | 119618.74         | 1785.00                     | 1.49  | 2153.00                                       | -17.09  |
| 38                      | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग   | 15084.34          | 2217.00                     | 14.70   | 1929.00                                       | 14.93   |
| 39                      | आपदा प्रबंधन विभाग  | 54794.84          | 3022.00                     | 5.52  | 103518.00                                     | -97.08  |
| 40                      | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग   | 70906.01          | 8639.00                     | 12.18   | 8070.00                                       | 7.05  |
| 41                      | पथ निर्माण विभाग  | 94765.38          | 23631.00                    | 24.94   | 17359.00                                      | 36.13   |
| 42                      | ग्रामीण विकास विभाग   | 30592.90          | 4776.00                     | 15.61   | 3731.00                                       | 28.01   |
| 43                      | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  | 7586.92           | 1586.00                     | 20.90   | 1286.00                                       | 23.33   |
| 44                      | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग  | 21558.71          | 1954.00                     | 9.06  | 2228.00                                       | -12.30  |
| 45                      | गन्ना उद्योग विभाग  | 1982.47           | 318.00                      | 16.04   | 283.00  | 12.37   |
| 46                      | पर्यटन विभाग  | 1828.24           | 178.00                      | 9.74  | 313.00  | -43.13  |
| 47                      | परिवहन विभाग  | 4889.62           | 661.00                      | 13.52   | 554.00  | 19.31   |
| 48                      | नगर विकास एवं आवास विभाग  | 140827.66         | 300.00                      | 0.21  | 8563.00                                       | -96.50  |
| 49                      | जल संसाधन विभाग   | 73763.00          | 11972.00                    | 16.23   | 13070.00                                      | -8.40   |
| 50                      | लघु जल संसाधन विभाग   | 26888.57          | 4056.00                     | 15.08   | 3609.00                                       | 12.39   |
| 51                      | समाज कल्याण विभाग   | 5616.73           | 768.00                      | 13.67   | 666.00  | 15.32   |
|                         | अन्य (घटायें वापसियाँ)  | 0.00              | -1905.00                    |   | -2654.00                                      | -28.22  |
|                         | <b>योग-</b>   | <b>6820256.51</b> | <b>1218983.62</b>           | <b>17.87</b>                                      | <b>1149917.63</b>                             | <b>6.01</b>                                   |
| 14                      | ऋण अदायगियाँ  | 407438.66         | 48796.00                    | 11.98   | 115294.00                                     | -57.68  |
|                         | <b>महायोग</b>   | <b>7227695.17</b> | <b>1267779.62</b>           | <b>17.54</b>                                      | <b>1265211.63</b>                             | <b>0.20</b>                                   |
| स्रोत-                  | सी०टी०एम०आई०एस० जून, 2016 के अनुसार एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से प्राप्त राज्यपाल सचिवालय एवं बिहार विधान मंडल की व्यय विवरणी से अंकित किया गया है। |                   |                             |   |   |   |

## राजस्व वसूली की विभागवार विवरणी

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं.          | विभाग                   | 2016-17         |                               |                              |  | 2015-16 में प्रथम तिमाही तक कुल प्राप्ति | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|
|                  |                         | बजट प्रावधान    | प्रथम तिमाही में कुल प्राप्ति | प्रथम तिमाही तक कुल प्राप्ति | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत प्राप्ति (कॉलम 3 का) |  |                                      |
| 1                | 2                       | 3               | 4                             | 5                            | 6  | 7  | 8                                    |
| <b>कर राजस्व</b> |                         |                 |                               |                              |  |  |                                      |
| 1                | वाणिज्य-कर विभाग        | 22000.00        | 2372.36                       | 2372.36                      | 10.78  | 3666.66                                  | -35.30                               |
| 2                | निबंधन विभाग            | 3800.00         | 874.76                        | 874.76                       | 23.02  | 862.07                                   | 1.47                                 |
| 3                | उत्पाद एवं मद्य निषेध   | 2100.00         | 42.27                         | 42.27                        | 2.01   | 897.01                                   | -95.29                               |
| 4                | परिवहन विभाग            | 1500.00         | 276.15                        | 276.15                       | 18.41  | 250.81                                   | 10.10                                |
| 5                | राजस्व एवं भू0सु0 विभाग | 330.00          | 186.80                        | 186.80                       | 56.61  | 57.26                                    | 226.23                               |
|                  | अन्य                    | 0.27            | 0.00                          | 0.00                         | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                                 |
|                  | <b>योग</b>              | <b>29730.27</b> | <b>3752.34</b>                | <b>3752.34</b>               | <b>12.62</b>                                 | <b>5733.81</b>                           | <b>-34.56</b>                        |

## गैर कर राजस्व

|    |                                      |                 |                |                |              |                |               |
|----|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 7  | खान एवं भू-तत्व विभाग                | 1100.00         | 140.82         | 140.82         | 12.80        | 153.83         | -8.46         |
| 8  | जल संसाधन विभाग                      | 34.00           | 1.72           | 1.72           | 5.06         | 3.37           | -48.96        |
| 9  | कृषि विभाग                           | 31.23           | 4.80           | 4.80           | 15.37        | 8.08           | -40.59        |
| 10 | पर्यावरण एवं वन विभाग                | 14.15           | 1.30           | 1.30           | 9.19         | 5.21           | -75.05        |
| 11 | अन्य विभाग                           | 1178.73         | 176.33         | 176.33         | 14.96        | 186.87         | -5.64         |
|    | <b>योग</b>                           | <b>2358.11</b>  | <b>324.97</b>  | <b>324.97</b>  | <b>13.78</b> | <b>357.36</b>  | <b>-9.06</b>  |
|    | <b>महायोग (कर एवं गैर कर राजस्व)</b> | <b>32088.38</b> | <b>4077.31</b> | <b>4077.31</b> | <b>12.71</b> | <b>6091.17</b> | <b>-33.06</b> |

## ऋण उगाही की मदवार विवरणी

|   |                                      |                 |               |               |             |               |              |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 1 | बाजार ऋण                             | 15344.61        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
| 2 | नाबार्ड                              | 2100.00         | 70.95         | 70.95         | 3.38        | 153.90        | -53.90       |
| 3 | राष्ट्रीय लघु बचत निधि               | 1800.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 180.85        | -100.00      |
| 4 | वाह्य सम्पोषित परियोजना हेतु ऋण      | 1955.55         | 689.13        | 689.13        | 35.24       | 263.16        | 161.87       |
| 5 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य | 54.76           | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
|   | <b>योग</b>                           | <b>21254.92</b> | <b>760.08</b> | <b>760.08</b> | <b>3.58</b> | <b>597.91</b> | <b>27.12</b> |

## राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली

|   |               |       |      |      |       |      |       |
|---|---------------|-------|------|------|-------|------|-------|
| 1 | ऋणों की वसूली | 17.38 | 4.74 | 4.74 | 27.27 | 4.12 | 15.05 |
|---|---------------|-------|------|------|-------|------|-------|

## केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि की मदवार विवरणी

|   |                                    |          |          |          |       |          |        |
|---|------------------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|
| 1 | केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा | 58359.72 | 11835.39 | 11835.39 | 20.28 | 10874.11 | 8.84   |
| 2 | केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान      | 34142.14 | 4660.56  | 4660.56  | 13.65 | 5477.96  | -14.92 |

स्रोत: प्रथम तिमाही तक कुल प्राप्ति सी0टी0एम0आई0एस0 जून 2016 के अनुसार अंकित किया गया है ।

‘अनुलग्नक-घ’  
(राशि लाख रुपये में)

केन्द्रीय योजनागत योजना व्यय की विभागवार विवरणी

| मांग सं० | विभाग का नाम                                   | 2016-17         |                             |  |                                     |                                      |
|----------|--|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
|          |  | बजट प्रावधान    | प्रथम तिमाही तक का कुल व्यय | प्रथम तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | 2015-16 में प्रथम तिमाही तक का व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
| 1        | 2  | 3               | 4                           | 5  | 6                                   | 7                                    |
| 2        | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग                    | 500.00          | 6.00                        | 1.20                                     | 7.00                                | -14.29                               |
| 9        | सहकारिता विभाग                                 | 6938.03         | 0.00                        | 0.00                                     | 0.00                                | 0.00                                 |
| 22       | गृह विभाग                                      | 140.00          | 0.00                        | 0.00                                     |                                     | 0.00                                 |
| 35       | योजना एवं विकास विभाग                          | 0.00            | 0.00                        | 0.00                                     | 14.00                               | -100.00                              |
| 40       | * राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग                  | 0.00            | 10.00                       | 0.00                                     | 3.00                                | 233.33                               |
| 44       | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 10250.00        | 0.00                        | 0.00                                     |                                     | 0.00                                 |
| 46       | पर्यटन विभाग                                   | 61319.99        | 0.00                        | 0.00                                     |                                     | 0.00                                 |
| 49       | जल संसाधन विभाग                                | 12600.00        | 1808.00                     | 14.35                                    | 5095.00                             | -64.51                               |
|          | अन्य   |                 |                             | 0.00                                     | -1.00                               | -100.00                              |
|          | <b>कुल योग -</b>                               | <b>91748.02</b> | <b>1824.00</b>              | <b>1.99</b>                              | <b>5118.00</b>                      | <b>-64.36</b>                        |

नोट - सी0टी0एम0आई0एस0 जून 2016 के अनुसार अंकित किया गया है ।

\* 29 अप्रैल, 2016 को बिहार आकस्मिकता निधि से 50.50 लाख रुपये अग्रिम स्वीकृत किये गये है।